इं0 राजेश कुमार,
निदेशक,

दूरभाषः 2237604 (का0)
अ0शा0प0सं0– 454 / प्रा0र0मू0प्र0 / 10
व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश
628, योजना भवन, लखनऊ।

दिनॉक : 10 जनवरी, 2011

प्रिय महोदय,

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 का कार्यवृत्त आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। कृपया वांछित कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय,

(इं0 राजेश कुमार)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

ATTESTED

28.3.18
(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

कोड 16 / 24–12–2010 / (10–11)

व्यय वित्त समिति की बैठक

(दिनांक 24–12–2010)

कार्यवृत्त

(कुल पृष्ठ संख्या–42)

व्यय वित्त समिति सचिवालय

(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)

राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश,

छठा तल, योजना भवन, लखनऊ।

(दिसम्बर–2010)

ATTESTED

28.3.18

(आर० के० पंकज)

परियोजना प्रबन्धक

गंगा जल परियोजना इकाई,

उ०प्र० जल निगम, आगरा

सी0वी0पी0डी0-4202 के अनुसार मार्ग को सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। मार्ग के सुदृढ़ीकरण की डिजाइन आई0आर0सी0 -81:1997 के अनुसार मार्ग पर आई0आई0टी रूड़की द्वारा करायी गई है तथा आई0आई0टी0 रूडकी द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर 175 एम0एम0 बी0एम0 तथा 40 एम0एम0 एस0डी0बी0सी0 का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष व्यय वित्त समिति की अपेक्षा पर प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रायोजना के निर्माण हेतु आलोच्य वित्तीय वर्ष में प्रायोजना लागत की 20 प्रशितात धनराशि निर्गत की जायेगी तथा इसका निर्माण कार्य जून, 2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को लागत रू0 3567.97 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा लागत रू0 3524.43 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिए गए कि प्रायोजना को समय से पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही : लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन)

26- जे0बी0आई0सी0 (जायका) के अन्तर्गत वित्त पोषित आगरा शहर में अपर गंगा कैनाल के पालरा फाल से आगरा तक कन्ड्यूट पाइप लाइन के द्वारा पेयजल आपूर्ति (गंगाजल) सम्बन्धी संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (अनुमानित लागत रू0 2888.88 करोड़)।

निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जे0बी0आई0सी0 (जायका) के अन्तर्गत वित्त पोषित आगरा शहर में अपर गंगा कैनाल के पालरा फाल से आगरा तक कन्ड्यूट पाइप लाइन के द्वारा पेयजल आपूर्ति (गंगाजल) सम्बन्धी संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (अनुमानित लागत रू0 2888.88 करोड़) व्यय वित्त समिति के विचारर्थ/अनुमोदनार्थ प्रभाग को संदर्भित किया गया है। **परीक्षणोपरान्त प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 2888.88 करोड के सापेक्ष प्रभाग द्वारा इसकी लागत रू0 2756.04 करोड़ आंकलित की गई है।**

ATTESTED

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

निदेशक द्वारा समिति के समक्ष स्पष्ट किया गया कि मूल प्रारम्भिक प्रायेाजना प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 9–7–2007 में लागत रू0 107698.43 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। मूल प्रायोजना के सापेक्ष प्रश्नगत प्रायोजना में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में टेक्नालॉजी परिवर्तन, पालरा फाल से आगरा तक रॉ–वाटर आंशिंक ग्रेविटी एवं आंशिक पम्पिंग के स्थान पर पूर्ण रूप से ग्रेविटी में लाने, पम्पिंग सुविधाओं को समाप्त किये जाने आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रायोजना को पुनरीक्षित प्रायेाजना के स्थान पर संशोधित प्रायोजना कहा गया है।

प्रशासकीय विभाग द्वारा समिति के समक्ष स्पष्ट किया गया कि मूल स्वीकृत आगणन वर्ष 2004–05 की स्वीकृत सामग्री एवम् श्रमिकों की दरों पर आधारित था। वित्त पोषण संस्था जे0बी0आई0सी0 (अब जायका) की शर्तो के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट (पी0एम0सी0) की नियुक्ति के उपरान्त प्रश्नगत परियोजना के कार्यो को प्रारम्भ कराया जाना था। अतः निर्माण कार्य मार्च,2009 में प्रारम्भ किये जाने के कारण, पी0एम0सी0 की नियुक्ति के उपरान्त विस्तृत सर्वे, स्थलीय अन्वेषण एवं टेस्टिंग के कार्य कराये गये। तदोपरान्त उसके आधार पर मदवार विस्तृत डिजाइन कर विस्तृत आगणन वर्ष 2010–11 की दरों पर तैयार किया गया है। विस्तृत टेस्टिंग एवं अन्वेषण के फलस्वरूप कुछ मदों की विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक पाया गया है, जोकि निम्नवत् हैः–

अ– यमुना नदी की जल की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उसका शोधन पारम्परिक शोधन प्रकिया से सम्भव न हो पाने के कारण एडवांन्सड् तकनीक पर आधारित एम0बी0बी0आर0 (मूविंग बैड बायलोजिकल रियक्टर) एवं एम0एफ़0 (मेम्बरेन फिल्ट्रेशन) शोधन संयंत्र प्रस्तावित किया गया है।

ब– मूल प्रायोजना में कनवेयन्स मेन आंशिक ग्रेविटी मेन तथा आंशिक पम्पिंग पर आधारित था। विस्तृत आगणन में सम्पूर्ण कनवेयन्स मेन

ATTESTED

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

ग्रेविटी पर आधारित है। परिणामस्वरूप मेन्स के साइजेज में वृद्धि हो गई है। कनवेयन्स मेन की इंजीनियरिंग तथा सुचारू रख-रखाव के लिए आवश्यक वाल्वस् एवं नये तकनीकी प्राविधान किये गये हैं ।

स- कनवेयन्स मेन के ग्रेविटी मेन में परिवर्तित होने के फलस्वरूप रॉ-वाटर मेन की सिल्ट केरिंयंग क्षमता 700 पी0पी0एम0 से घटकर 300 पी0पी0एम0 रह गई है। परिणामस्वरूप एक सेटलिंग टैंक (साइज 60मी0x90 मी0x5 मी0) के स्थान पर तीन सेटलिंग टैंक (40मी0x120 मी0x7 मी0) प्रस्तावित किये गये है। सेटलिंग टैंक की सफाई हेतु रैम्प सहित डी-कैन्टेशन सिस्टम का भी प्राविधान किया गया है।

द- रख-रखाव हेतु सर्विस रोड़ का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य ग्रामीण सड़क की विशष्टियों पर प्रस्तावित किया गया था। आंशिक निर्मित सड़क पर भारी वाहन का परिचालन हो जाने के कारण विशिष्टियों में परिवर्तन किया गया है। सड़क की चालन चौड़ाई को कटान से बचाने के लिए नहर की ओर अनेक सुरक्षात्मक कार्यो का प्राविधान किया गया है। 3.00 कि0मी0 लम्बई में ऊसर भूमि को उपयुक्त बनाने हेतु आवश्यक प्राविधान किये गये हैं।

प्रशासकीय विभाग द्वारा समिति के समक्ष यह अनुरोध किया गया कि प्रस्ताव/आगणन में 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्ज प्रस्तावित किया गया था, परन्तु प्रभाग द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 6.875 प्रतिशत ही अनुमन्य किया गया है। प्रायोजना का वित्त पोषण जायका द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत प्रायोजना लागत का 85 प्रतिशत जायका द्वारा तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है तथा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि में भूमि अध्याप्ति, टैक्सेस एवं ड्यूटीज एवं सेन्टेज चार्ज आदि सम्मिलित है। अतः यदि सेन्टेज चार्ज में 6.875 प्रतिशत की दर से धनराशि दी जाती है तो प्रदेश सरकार पर जायका से प्राप्त ऋण की

ATTESTED

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

अनावश्यक रूप से देनदारी बढ़ जायेगी। उक्त पर अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा यह निर्देश दिए गए कि प्रायोजना का लागत आंकलन 12.5 प्रतिशत सेन्टेज की दर से ही किया जाय, परन्तु कार्यदायी संस्था को राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के विद्यमान शासनादेश के अनुसार ही सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।

सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को लागत रू0 2888.88 करोड के सापेक्ष संशोधित लागत रू0 2887.92 करोड़ (संलग्नक–1) की लागत पर अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)

27– जनपद चन्दौली की तहसील चकिया के आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन (अनुमानित लागत रू0 333.14 लाख)

निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद चन्दौली की तहसील चकिया के आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन (अनुमानित लागत रू0 333.14 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। प्रायोजना का निर्माण कार्य नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराया जा रहा है।

प्रायोजना की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0–167 / 1–5–07–53 / 06, दिनांक 19–1–2007 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 174.46 लाख पर प्रदान की गयी, जो कि लागत वर्ष 2005 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित थी। प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि क्रय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 15.00 करोड़ की धनराशि व्यवस्थित है, जिसके सापेक्ष अभी लगभग रू0 4.00 करोड़ की धनराशि अवशेष है। आवासीय भवनों का प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार तथा व्यय वित्त समिति द्वारा मानकीकृत है। प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु रू0 174.46 लाख की धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को शासनादेश दिनांक 19–1–2007 के

ATTESTED

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

संलग्नक—1

जे0बी0आई0सी0 (जायका) के अन्तर्गत वित्त पोषित आगरा शहर में अपर गंगा कैनाल के पालरा फाल से आगरा तक कन्डयूट पाइप लाइन के द्वारा पेयजल आपूर्ति (गंगाजल) सम्बन्धी संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का संशोधित लागत विवरण

रू0 करोड़ में

क.सं.	मद	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत	पुनरीक्षित आंकलित लागत	लागत वृद्धि
1	हैड रैगुलेटर	1.50	1.91	1.91	0.41
2	सैटलिंग टैंक	10.15	71.07	71.07	60.92
3	कन्डयूट पाइप	495.02	1652.74	1652.54	1157.52
4	सर्विस रोड का निर्माण एवम् रखरखाव	22.00	102.82	102.82	80.82
5	**आगरा में पम्पिंग सुविधा सम्बन्धी कार्य**				
अ	जलाशय एवम् पम्प हाउस	2.80	-		-2.80
ब	चहारदीवारी, स्टाफ क्वार्टर एवम् विभाग कार्य	0.68	-		-0.68
स	वाहन एवम् स्पेशल टी.एन्ड.पी.	0.5	-		-0.50
द	पम्पिंग प्लान्ट एवं पावर स्टेशन	9	-		-9.00
6	**आगरा शहर में राइजिंग मेन**		-		0.00
अ	पम्पिंग स्टेशन से वाटर वकर्स् –। तक राइजिंग मेंन	28.9	-		-28.90
ब	पम्पिंग स्टेशन से वाटर वकर्स् –।। तक राइजिंग मेंन	2.64	-		-2.64
7	फीडर मैन्स		141.68	141.58	141.58
8	यमुना नदी पर पुल का निर्माण	7.37	17.24	17.24	9.87
9	मथुरा में सम्प कम पम्प हाउस	0.23			-0.23
10	मथुरा में ओवरहेड रिवीसिंग टैंक	0.37			-0.37
11	मथुरा में सम्प से जल शोधन संयंत्र तक राइजिंग मेन	4.89			-4.89
12	मथुरा में पम्पिंग प्लान्ट एवं पावर स्टेशन	0.16			-0.16

ATTESTED

18.3.18

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

13	वा.व.–। का जीर्णोद्धार एवं रिसीविंग वेल का निर्माण	13.94	40.52	40.37	26.43
14	वा.व.–।। का जीर्णोद्धार		9.33	8.98	8.98
15	144 एम.एल.डी. का पारम्परिक जल शोधन संयंत्र	31.02			-31.02
16	144 एम.एल.डी. का एडवान्स एम0बी0बी0आर0 एवं एम0एफ0 जल शोधन संयंत्र		136.47	136.47	136.47
17	जीर्णोद्धार कार्य	97.82	102.38	102.38	4.56
18	सोशल इम्प्रूवमेन्ट कम्पोनेन्ट	1.44	1.80	1.80	0.36
19	इन्स्टीट्यूशनल स्ट्रैन्थनिंग एवम् कैपेसिटी बिल्डिंग	15.92	21.41	21.41	5.49
	योग	**746.35**	**2299.37**	**2298.57**	1552.22
20	मूल्य वृद्धि	46.57			-46.57
	योग	**792.92**	**2299.37**	**2298.57**	1505.65
21	आकस्मिक व्यय	14.93	45.99	45.97	31.04
	योग	**807.85**	**2345.36**	**2344.54**	1536.69
22	अधिष्ठान व्यय 12.5 %	100.98	293.17	293.07	192.09
	योग	**908.83**	**2638.53**	**2637.61**	1728.78
23	टैक्सेज एण्ड ड्यूटीज	82.32	113.77	113.73	31.41
24	भूमि	5.43	48.28	48.28	42.85
25	कन्सल्टेन्सी	80.40	88.30	88.30	7.90
	प्रायोजना की कुल लागत	**1076.98**	**2888.88**	**2887.92**	1810.94

ATTESTED

8.3.18

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा